## (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ /30

Dated: 23/10/20

#### Notification No 29/2019- State Tax (Rate)

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient, provided to a body corporate.	Any person, other than a body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging state tax at the rate of 6 percent. to the service recipient.	corporate located in the taxable

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31<sup>st</sup> day of December, 2019.

By order and in the name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(13)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ /30

Dated: 23/10/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- 2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. Website.

11. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2019 - State Tax (Rate), dated the 12<sup>th</sup> December, 2019 *vide* No. F.3 (90)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/617, dated the 12<sup>th</sup> December, 2019.

# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—1) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली—110 002.

सं.फा. 3(13) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डीएस-IV / /30

दिनांकः 23/10/20

### अधिसूचना सं. 29/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(13)/वित्त(राजस्व—I)/2020—21/डीएस—IV/ —दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व—I) की अधिसूचना संख्या 13/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017, जिसे सं.फा.3(15)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/379 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग—IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में सारणी में, कम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो ।	भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और सेवा के प्राप्तकर्ता से 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर वसूल करने वाली	कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (वित्त)

दिनांकः ४3/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

- 2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई ब्रिल्ली।

10. वेब साईट। 11. गार्ड फाइल।

> (मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को जिसे सं.फा. 3(15)/ वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस<math>-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-I में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2019—राज्य कर (दर), दिनांक 12 दिसम्बर, 2019, सं.फा. 3(90)/ वित्त (राजस्व-I)/2019-20/ डीएस- VI/617 दिनांक 12, दिसम्बर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।